King George's. Medical University
Uttar Pradesh, Lucknow - 226003
Internal Committee for Sexual Harassment of Women at Workplace
(Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013

Ref. No.: ......98....../ICSHWW/2021 Date: 16-11-22

मानक संचालन प्रकिया

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ में महिला डाक्टरों एवं कर्मचारियों के साथ हुए यौन शोषण/उत्पीड़न के सभी कृत्यों से सम्बन्धित शिकायतों का निवारण किये जाने हेतु "Internal Committee for Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013" का गठन किया गया है।

इस सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का निर्धारण निम्नवत निर्धारित की जाती है:–

1. शिकायतकर्ता अपनी शिकायत अध्यक्ष, महिला उत्पीड़न निवारण कार्यालय में प्रस्तुत कर सकती है। उक्त शिकायत का निस्तारण कुलसचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा गठित जॉच समिति द्वारा किया जाता है।
2. शिकायतों की पुष्टि हेतु आवश्यकतानुसार शिकायतकर्ता एवं आरोपी से बैठक में लिखित/मौखिक बयान लिया जाता है। संबंधित समिति तदनुसार मामलों की जांच करेगी। समिति द्वारा शिकायतों की पुष्टि के उपरान्त दोषी के विरूद्ध यथावश्यक कार्यवाही हेतु सम्बन्धित अधिकारी को संस्तुति की जायेगी।
3. शिकायतकर्ता को समिति द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में सूचित किया जायेगा। शिकायत के निराधार व अमान्य पाये जाने की दशा में शिकायतकर्ता और जिस व्यक्ति के विरूद्व शिकायत की गयी है, को तदनुसार सूचित किया जायेगा और नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. किसी भी मामले में शिकायत प्राप्त होने की एक माह की अवधि में उसका समाधान किया जायेगा।

(प्रो0 अमिता जैन)
अध्यक्ष,
इन्टर्नल कमेटी फार सेक्सुअल हरासमेंट आफ वूमेन एट वर्कप्लेस

Scanned with CamScanner